

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम सांगरिया जमाबंदी सं. 2011-2014 के खाता सं. 1910 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		1910 2011-14	श्री गवानलाल पुज सिरीया जाति चमार काटे	श्री गवानलाल पुज सिरीया मेपवाल काटे

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण


1. श्री गवानलाल पुज सिरीया मेपवाल
2.
3.
4.

हस्ताक्षर


श्री गवानलाल


रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम सांगरिया के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।


18/3/25
हस्ताक्षर पटवारी
प0म0 सांगरिया

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।



20/03/25
भू0अभिलेख निरीक्षक
डा. लाल बर्नी

रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/ 456

दिनांक: 21-3-25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम सागरिया के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।


तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार
कुनेल (झालावाड़)राज.


आदेश


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 52

दिनांक: 24⁰³/₂₅

वादी/प्रार्थी के ग्राम सागरिया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार कुनेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।




उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड जिला झालावाड़ राज0
जिला झालावाड़